भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3366
जिसका उत्तर मंगलवार 06 दिसम्बर, 2016 को दिया जाना है

वाहन उत्सर्जन मानक

3366. श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय ऑटोमोटिव अनुसंधान संघ वाहन को सड़क पर चलने के लिए उपयुक्त होने के संबंध में उसके सड़क पर आने से पहले जांच करता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहन, वाहन उत्सर्जन मानकों को पूरा करें;
(घ) क्या सरकार की वाहनों की सड़क पर ही जांच को अनिवार्य करने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): अधिसूचित नियमों, मानकों और प्रक्रियाओं के अनुसार एआरएआई वाहनों के टाइप अनुमोदन प्रमाणन के लिए केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेन्सियों में से एक है। मोटर वाहनों के टाइप अनुमोदन प्रमाणन की प्रक्रिया, समय-समय पर यथासंशोधित, एआईएस: 017-2000 के अनुसार है। सीएमवीआर अनुपालन अपेक्षाएं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अध्याय V (नियम 91 से नियम 126 तक) में दी गई हैं।

(ग): उत्सर्जन निष्पादन के लिए वाहनों के आवधिक अनुपालन की जांच केन्द्रीय मोटरयान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के अंतर्गत अधिसूचित जांच एजेन्सी द्वारा उत्पादन के अनुरूप (सीओपी) परीक्षण करते हुए की जाती है। वाहनों की उत्पादन श्रृंखला में से किसी भी वाहन को यादृच्छिक रूप से निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है कि वह केन्द्रीय मोटरयान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं।

(घ) और (ङ): सरकार ने वाहनों की सड़क पर जांच को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है और तद्नुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 16.9.2016 को जीएसआर 889 (ई) के द्वारा अधिसूचना जारी की है। यह परीक्षण 2023 से अनिवार्य हो जाएगा। विस्तृत अधिसूचना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

******